अर्धशासकीय पत्र संख्या एच-11013(14)/1/2016-एसबीएम

दिनांक 17 अगस्त, 2016

महोदय/महोदया,

कृपया दिनांक 20.1.2016 और 2.8.2016 के इस मंत्रालय के सम संख्या पत्र का संदर्भ लें जो इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक टीएससी एनबीए के निष्पादन लेखापरीक्षा पर सीएजी की रिपोर्ट में आपके राज्य से संबंधित बिंदुओं पर उत्तर/एटीआर प्रदान करने के संबंध में भेजे गए ईमेल का संदर्भ लें।

2. जैसा कि आपको पता है वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक टीएससी/एनबीए के निष्पादन लेखापरीक्षा पर सीएजी रिपोर्ट की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जा रही है। लोकसभा सचिवालय में सूचित किया गया है कि इस संबंध में पीएसी, मौखिक साक्ष्य लेगी। पीएसी किसी भी समय/तारीख पर मौखिक साक्ष्य बुला सकती है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि आपके राज्य के लेखापरीक्षक/लेखा अधिकारी सहित संबंधित राज्य समन्वयक को मंत्रालय के कांफ्रेंस कक्ष, चौथे तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर/एटीआर के साथ तैनात किया जाए।

क्र.सं.	दिनांक	राज्यों का नाम
1.	24.8.2016	हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान
2.	26.8.2016	असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक
3.	29.8.2016	अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, त्रिपुरा

4. इस मामले पर तुरंत कार्रवाई सराहनीय होगी और अनुरोध किया जाता है कि संबंधित राज्य अधिकारी राज्य के उत्तर के साथ इस बैठक में भाग लें।

सादर,

आपका,

Sd/-
(अरुण बरोका)

मुख्य सचिव/सचिव,
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी, ऊपर उल्लिखित राज्य

प्रति: राज्य समन्वयक, एसबीएम (जी), उल्लिखित राज्य

प्रति:

i. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय - जलपान की व्यवस्था करने के लिए
ii. मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशक, एनआईसी
iii. अवर सचिव, एसबीएम (जी), /अनुभाग अधिकारी (एसबीएम–जी)/श्री जुनेद, परामर्शदाता / श्री कृषाणु, सहायक सांख्यिकी अधिकारी / श्री राजीव, सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सुश्री रश्मि सिंह, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय